कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 23/12/2025

विषय:-थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित चाइनीज/नायलान मांझा वजन 115.750 किलोग्राम के साथ 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व थानाध्यक्ष जैतपुरा के नेतृत्व में थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना जैतपुरा क्षेत्र में प्रतिबन्धित चाइनीज/नायलॉन मांझा बेचने वाले अभियुक्तगण 1. परवेज अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी- ए-40/57-ए अमरपुर बटलोहिया सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष व 2. मुमताज अहमद पुत्र इकबाल अहमद नि0- ए-40/57-ए अमरपुर बटलोहिया सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष को अवैध चाइनीज/नायलॉन मांझा वजन 115.750 किलोग्राम के साथ सरैया बाजार के पास से दिनांक 22/12/2025 गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक- 22/12/2025 को सायं मुखबिर की सूचना पर थाना जैतपुरा पुलिस टीम ने सरैया बाजार के नजदीक प्रतिबन्धित चायनीज मांझा बेचने वाले 1. परवेज अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी- ए-40/57-ए अमरपुर बटलोहिया सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष व 2. मुमताज अहमद पुत्र इकबाल अहमद नि0- ए-40/57-ए अमरपुर बटलोहिया सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष को ठेले पर 04 सफेद बोरीयों में मांझा कुल 115 किलो 750 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया । पुलिस कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी के दिशानिर्देशों का पालन किया गया।

विवरण पूछताछ- पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में कबूल किया कि वह पतंग उड़ाने के मौसम में इससे अच्छी कमाई के लोभ में बिक्री करने हेतु चौक से पी0के0 इन्टरप्राइजेज की दुकान से खरीद कर लाते है और पतंग उड़ाने वालों को बेचते है।

चाइनिज मांझा पर्यावरण और मानव जीवन के लिए खतरनाक माना जाता है। चाइनीज मांझा को भारत सरकार और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है, क्योंकि यह ग्लास कोटिंग के कारण चोटिल करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद-बिक्री न करें।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. परवेज अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी- ए-40/57-ए अमरपुर बटलोहिया सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष ।
2. मुमताज अहमद पुत्र इकबाल अहमद नि0- ए-40/57-ए अमरपुर बटलोहिया सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक- 22.12.2025 को, स्थान- निकट सरैया बाजार, थाना जैतपुरा, वाराणसी।

<u>आपराधिक इतिहास-</u> मु0अ0सं0- 0327/2025, धारा- 293,125,223 B.N.S. व 5. 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>गिरफ्तार/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ0नि0 सत्यदेव गुप्ता चौकी प्रभारी चौकाघाट, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ0नि0 अभय कुमार, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी
4. हे0का0 विजय सरोज, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी.
5. का0 इन्दल चौहान, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी
6. का0 नृपेन्द्र यादव, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी
7. का0 रिन्कु कुमार, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, जोन-काशी,
कमिश्नरेट वाराणसी।